DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART - II

(General Information relating to Assembly and other matters)

Friday,August 27, 1999/ Bhadrapad 5, 1921 (Saka)

No. 50

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

Hon'ble Speaker has admitted the following Resolutions for discussion on Friday, the 10th September, 1999. The names of the Members have been shown in accordance with priorities obtained after balloting as per rules :-

S.No.	Name of Member	Text of Resolution
1.	Shri Jagdish Anand	This House resolves that a large number of hoardings erected on different roads/Streets be completely removed as this is in vailation of the orders of the Hon'ble Supreme Court.
2.	Shri Mukesh Sharma	This House resolves that the policy of giving weightage of 5% marks to the candidates hailing from notified rural areas in services and educational institutions in Delhi Govt. which was dispensed by the previous government, may be restored forthwith.
3.	Shri Jile Singh Chauhan	This House resolves that a high powered Development Board on the pattern of Trans-Yamuna Development Board, be constituted forthwith for integrated and planned development of all the unauthorised colonies in Delhi and provision be made for incurring expenditure from MLA Fund for this purpose on the recommendation of MLAs representing these unauthorised colonies.

S.K. SHARMA
SECRETARY

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

शुक्रवार, 27 अगस्त, 1999, भाद्रपद 05, 1999 (शक)

संख्या: **50**

गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प

माननीय अध्यक्ष ने शुक्रवार, 10 सितम्बर, 1999 को निम्नलिखित संकल्पों को चर्चा के लिए स्वीकार किया है । सदस्यों के नाम नियमानुसार बैलेटिंग में प्राप्त प्राथमिकता के अनुसार निम्नानुसार हैं :

क्र0सं0	सदस्य का नाम	संकल्प का विषय
1.	श्री जगदीश आनन्द	"यह सदन संकल्प करता है कि विभिन्न सड़कों/गलियों में बड़ी संख्या में लगाए गए होर्डिंग्स को पूर्ण रूप से हटाया जाए, क्योंकि यह माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है ।"
2.	श्री मुकेश शर्मा	"यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली सरकार की सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थानों में अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों (नोटिफाइड रूरल एरियाज़) से आने वाले अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक दिए जाने की नीति को, जिस पर पूर्व सरकार ने रोक लगा दी थी, फिर से आरम्भ किया जाए ।"
3.	श्री जिले सिंह चौहान	"यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली की सभी अनधिकृत कालोनियों के समेकित एवं योजनाबद्ध विकास हेतु यमुनापार विकास बोर्ड की तरह एक उच्चाधिकार प्राप्त विकास बोर्ड गठित किया जाए और इन अनधिकृत कालोनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायकों की सिफारिश पर विधायक निधि से खर्चा किए जाने का प्रावधान किया जाए ।"

एस.के.शर्मा
सचिव